संख्या-1/3/96-का-4-2007

प्रेषक,

बी.एन.दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक :: 18 जुलाई, 2007

विषय :- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

स्थानान्तरण नीति विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24 मई, 2007 एवं दिनांक 28 जून, 2007 के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) शासनादेश दिनांक 24 मई, 2007 के प्रस्तर-5 में प्राविधानित स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या-10 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत की जाती है।

(2) उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में स्थानान्तरण करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि 30 जून, 2007 को बढ़ाकर दिनांक 31 जुलाई, 2007 निर्धारित किया जाता है।

(3) स्थानान्तरण नीति के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

2. अनुरोध है कि शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णयों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( बी.एन.दीक्षित )
विशेष सचिव।

संख्या-1/3/96(1) का-4-2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी।
2. प्रमुख सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा.मंत्रिगण।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव/मुख्य सचिव।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा.मुख्य मंत्री जी।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

( बी.एन.दीक्षित )
विशेष सचिव।